न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 40 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. स्व0 राजसिंह पुत्र श्री कानसिंह
   के कायम मुकामान व वारिसानः–
   1 / 1बहादुरसिंह पुत्र स्व0 श्री राजसिंह
   1 / 2हेबसिंह पुत्र स्व0 श्री राजसिंह,
   1 / 3स्व0मानसिंह पुत्र स्व0 श्री राजसिंह
   के वारिसानः–
   1 / 3 / 1प्रवीणसिंह पुत्र स्व0 श्री मानसिंह
   1 / 3 / 2हुकमसिंह पुत्र स्व0 श्री मानसिंह
   1 / 3 / 3रसाल कुंवर पुत्र स्व0 श्री मानसिंह
2. तनसिंह पुत्र श्री सुजानसिंह
3. जेतमालसिंह पुत्र श्री सुजानसिंह
4. हरीसिंह पुत्र श्री सुजानसिंह
5. उगमसिंह पुत्र श्री सुजानसिंह
6. मेवसिंह पुत्र श्री सुजानसिंह
7. स्व0 अर्जुनसिंह पुत्र श्री रूघासिंह के
   कायम मुकामान व वारिसानः–
   7 / 1पीरसिंह पुत्र स्व0श्री अर्जुनसिंह
   7 / 2लीलकुंवर पत्नी स्व0श्री अर्जुनसिंह
8. स्व0 भगसिंह पुत्र श्री विजेसिंह के कायम
   मुकामान् व वारिसानः–
   8 / 1गुलाबसिंह पुत्र स्व0 श्री भगसिंह
   8 / 2समन्दरसिंह पुत्र स्व0 श्री भगसिंह
   8 / 3तखतसिंह पुत्र स्व0 श्री भगसिंह
   8 / 4ढेल कुंवर पत्नी स्व0 श्री भगसिंह
9. देवीसिंह पुत्र श्री हिन्दुसिंह
10. विशनसिंह पुत्र श्री हिन्दुसिंह
11. मेवसिंह पुत्र श्री भूरसिंह
12. नारायाणसिंह पुत्र श्री भूरसिंह
13. जुजारसिंह पुत्र श्री जवानसिंह
14. ईश्वरसिंह पुत्र श्री गिरधरसिंह
15. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री गिरधरसिंह
16. कमल कंवर पत्नी श्री गिरधरसिंह
17. स्व0 गजेसिंह पुत्र श्री रिडमलसिंह के कायम
    मुकामान् व वारिसानः–
    17 / 1नरपतसिंह पुत्र स्व0 श्री गजेसिंह
    17 / 2मदनसिंह पुत्र स्व0 श्री गजेसिंह
18. स्व0 फतेहसिंह पुत्र श्री सांवलसिंह के कायम
    मुकामान व वारिसान :–
    18 / 1वीरसिंह पुत्र श्री भाखरसिंह
    18 / 2दलपतसिंह पुत्र श्री भाखरसिंह
    18 / 3श्रीमती छगन कंवर पत्नी श्री भाखरसिंह

रेस्पोडेंटगण

बनाम राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तहसील बाड़मेर,
जिला बाड़मेर (राज0)

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

19. चतरसिंह पुत्र श्री झण्डसिंह
20. स्व0 भीखसिंह पुत्र श्री अनोपसिंह के कायम मुकामान व वारिसानः–
    20/1स्व0 कूम्पसिंह पुत्र स्व0 भीखसिंह के वारिसानः–
    20/1/1 ईश्वरसिंह पुत्र स्व0 श्री कूम्पसिंह
    20/1/2 श्रवणसिंह पुत्र स्व0 श्री कूम्पसिंह
    20/1/3सूरज कुंवर पत्नी स्व0 श्री कूम्पसिंह
    20/2 पदमसिंह पुत्र स्व0 श्री भीखसिंह
21. प्रतापसिंह पुत्र श्री रावतसिंह
22. गेनसिंह पुत्र श्री तेजसिंह
23. जेठमालसिंह पुत्र श्री उदयसिंह
24. भंवरसिंह पुत्र श्री उदयसिंह सभी जाति राजपूत, निवासी गांव कुड़ला, तहसील बाड़मेर, जिला बाड़मेर (राज0)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर राजस्व आवेदन संख्या 93/2000 बअनवान सरकार बनाम राजसिंह वगैरह, आदेश दिनांक 18.05.2018 ।

उपस्थिति

1. वकील श्री डूंगरसिंह महेचा अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हाजी खां रेस्पोडेण्ट की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 02.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा रेस्पोडेंट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार करके ग्राम आदर्श ढूंढा खसरा संख्या 34/1/1 (नवीन खसरा संख्या 101/34) रकबा 195.14 बीघा के खातेदारान् (अपीलांट/विप्रार्थीगण) के खातेदारी अधिकार सदैव के लिए समाप्त करके भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर समस्त राजस्व अभिलेख में अंकन सुनिश्चित करने का आदेश पारित किया। खातेदारान द्वारा उक्त भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग लेकर अवैध रूप से जिप्सम खनन का कार्य किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। भू–बन्दोबस्त के तुरन्त पश्चात उक्त भूमि को सिणदरी फर्टीलाईजर कॉर्पोरेशन के लिए अवाप्त किया

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

गया, जिन्होंने 50 वर्ष तक खनिज निकालने हेतु भूमि का दोहन किया और इससे खेत में बड़े–बड़े खड्डे हो गए है। उक्त अवाप्त भूमि खातेदारान को सुपुर्द करते समय तहसीलदार, बाड़मेर द्वारा कृषकों के हितों की रक्षा नहीं की गई और भूमि वापिस लेने से पहले खड्डो को नहीं भरवाया गया। अपीलांटगण विवादग्रस्त आराजी से 10 किलोमीटर दूर रहते हैं। आसपास की फैक्ट्रियों के मालिक जबरन चोरी छिपे खेत में से अवैध खनन करते हैं, जिनके विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। अपीलांटगण द्वारा उक्त भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं लिया गया और न ही धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दोहरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर आलोच्य निर्णय पारित किया है उसमें उल्लेख है कि मौके पर झाड़ियां खड़ी हैं व अवैध खनन होने का हवाला दिया है। एकतरफ तो मौके पर झाड़ियां बता रहे है तथा दूसरी तरफ अवैध खनन बता रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया है, जो किसी भी रूप में विधिवत रूप से पारित किये गए आदेश की परिभाषा में नहीं आता। भू–बन्दोबस्त के तुरन्त पश्चात उक्त भूमि को सिणदरी फर्टीलाईजर कॉर्पोरेशन के लिए अवाप्त किया गया, जिन्होंने 50 वर्ष तक खनिज निकालने हेतु भूमि का दोहन किया और इससे खेत में बड़े–बड़े खड्डे हो गए है। उक्त अवाप्त भूमि खातेदारान को सुपुर्द करते समय तहसीलदार, बाड़मेर द्वारा कृषकों के हितों की रक्षा नहीं की गई और भूमि वापिस लेने से पहले खड्डो को नहीं भरवाया गया। अपीलांटगण विवादग्रस्त आराजी से 10 किलोमीटर दूर रहते हैं। आसपास की फैक्ट्रियों के मालिक जबरन चोरी छिपे खेत में से अवैध खनन करते हैं, जिनके विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। अपीलांटगण द्वारा उक्त भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं लिया गया और न ही धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक एवं रेस्पोडेंट संख्या 03 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा खसरा संख्या 87/30 रकबा 32.04 बीघा विवादग्रस्त आराजी में कृषि से भिन्न अवैध जिप्सम की खुदाई कर बिना माइनिंग लिज के अवैध

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

खनन कर जिप्सम फैक्ट्रिया के मालिकों को बेचान कर बिना रायल्टी चुकाये राजस्व हानि व कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर रहे है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयमपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि बिना प्रतिवादीगण को विधिवत तारीख पेशी की सूचना तामील कराये प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में निर्णय राजस्व लोक अदालत केम्प आदर्श ढूंढा में पारित किया गया। दिनांक 26.10.2016 की आदेशिका से स्पष्ट है कि विप्रार्थी संख्या 04 की फौतेदगी की सूचना प्राप्त हो चुकी थी परन्तु उनके कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लिये वगैर ही निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं विधि के विपरीत है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित किया गया है कि "विप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि ग्राम चकलानी के खसरा संख्या 34/1/1 (नवीन खसरा संख्या 101/34) रकबा 195.14 बीघा का कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग न करके उक्त भूमि से अवैध रूप से जिप्सम का खनन बिना अनुज्ञा–पत्र किया जा रहा है। इस भूमि में उतरलाई एयरफोर्स स्टेशन के नजदीक गड्ढे होने से सुरक्षा के खतरे की बात भी की गई है। यह प्रार्थना–पत्र फर्द मौका दिनांक 10.03.2000 पर आधारित है जो पटवारी कवास/बांदरा द्वारा तैयार की गई है। इसमें 10–12 मजदूरों द्वारा अवैध खनन किया जाना बताया परन्तु यह निसंदेह सिद्ध नहीं करता कि अवैध खनन अपीलांटगण/अप्रार्थीगण खातेदारों द्वारा किया गया। वाग्रस्त खसरें का **रकबा बहुत अधिक 195 बीघा है** जिसमें किसी विशिष्ट भू–भाग में खनन एवं गड्ढे पाए गए, इसका स्पष्ट अंकन इस मौका फर्द में नहीं है न ही इस संबंध में कोई नाप–जोख ही करने बाबत उल्लेख है। मौका फर्द में रिकॉर्डेड खातेदारों का हवाला देकर उन्हे विप्रार्थी रूप में संयोजित कर लिया गया। इनमें से किस खातेदार द्वारा अवैध खनन किया गया, स्पष्ट रूप से उल्लेखित नही किया गया न ही संलग्न नक्शे में अवैध खनन का स्थान मय रकबा दर्शित किया गया है। इस फर्द में गवाह तनसिंह, रूघाराम, पुरखाराम, अणदाराम हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

17 में से 8 विप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस खेत को सिणदरी फर्टीलाईजर कॉरपोरेशन के लिए अवाप्त किया जिन्होने 50 वर्ष तक खनन किया परन्तु वापस खातेदारों को देते वक्त समतल करके नहीं दी गई, जिसका फायदा अवैध खनन करने में लिप्त लोग उठा रहे हैं। विप्रार्थीगण का रहवास खेत से 10 किलोमीटर दूर कुड़ला गांव में है, जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वर्णित उनके साकिन से साबित है। रात्रि में अंधेरे का फायदा उठाकर अन्य लोग अवैध खनन करते रहे हैं जिन्हे प्रार्थी पक्ष भी बावजूद गुहार नहीं रोक रहे हैं। पीठासीन अधिकारी की मौका फर्द दिनांक 18.05.2018 पर टिप्पणी "आज मौका निरीक्षण किया गया। लगभग संपूर्ण खसरे में अवैध खनन के निशानात पाए गए ऐक्टर के निशान खुदाई के निशान मौजूद है अवैध खनन व्यापक पैमाने पर और प्रतिदिन हो रहा है"– से भी अवैध खनन किस जगह कितना, रकबा पर, कब से कब; किस–किस खातेदारा द्वारा किया गया स्पष्ट नहीं है। न ही इस फर्द पर किसी मौतबिरान के हस्ताक्षर ही है। मौके पर झाड़ियां खड़ी होने संबंधी पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी में कोई उल्लेख नहीं है।

यह एक तथ्य है कि विवादित भूमि वाले ग्राम चकलानी की भूमि को, जो विवादित खसरों के समीपस्थ है, (उदाहरणार्थ खसरा संख्या **29 व 31**) जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा सिणधरी फर्टीलाईजर कम्पनी के नाम से जिप्सम, निकालने के लिए 60–70 वर्ष पूर्व आवंटित की गई थी। आवंटित खसरों में संपूर्ण जिप्सम खनन कर लेने के बाद भूमि वापस खातेदारों को लौटाये जाने की भी सलाह थी। लगभग 30–35 वर्ष पूर्व उस कंपनी द्वारा खनन पूर्ण कर लिया गया। खनन के लिए आवंटित खसरों के निकटतम खसरों में से भी अतिचार करके खनन किया गया हो, ऐसा भी असंभव नहीं है। ऐसी स्थिति में निर्णायक रूप से यह साबित नहीं किया गया कि विवादित खसरे में कहां–कहां, कितने रकबे में, किस–किस काश्तकार द्वारा एवं कब–कब अवैध खनन किया गया। RT Act के मुताबिक धारा 177 के तहत प्रस्तुत आवेदन में प्रतिवादी(Contest) की स्थिति हो जाने के बाद वाद रूप में हस्तगत प्रकरण में फर्द मौका में उल्लिखित गवाहों के बयान लिये बगैर ही निर्णय कर दिया गया जो विधि सम्मत एवं न्यायिक प्रक्रिया की पूर्व पालना में नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 93/2000 बअनवान सरकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

बनाम राजसिंह वगै. पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.2018 को अपास्त किया जाता है। साथ ही अपीलांटगण को हिदायत दी जाती है कि वे अपने खातेदारी की वादग्रस्त आराजी की सम्यक तत्परता से अनवरत निगरानी करे ताकि कोई अवैध खनन नहीं कर पाए एवं आराजी का किसी भी सूरत में भविष्य में गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं हो, अन्यथा वे इसके लिए उत्तरदायी रहेंगे।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 02.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner